तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/7548/2006/पाली हबताराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री घनश्यामसिंह लखावत, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, उप राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 5.2.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–07–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बाली ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, बाली के न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि बन्दोबस्त विभाग ने ग्राम भागली तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा संख्या 191, 238, 322, 239 को हबता, केरा, चतरा, हेमा, हरता पुत्रान चेना के नाम दर्ज कर दिया, जबकि बन्दोबस्त विभाग ने गत अभिलेख के मुकाबले गलत प्रविष्टि की है, जिसे दुरूस्त किया जाकर भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे। उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 29–10–2005 से तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार कर लिया। उपखण्ड

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/7548/2006/पाली हबताराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिकारी द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19–7–2006 को खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण के नाम उनके बुजुर्गो के जमाने से काश्तकारी की भूमि बाबत भू प्रबन्ध के दौरान प्रस्तुत दुरूस्ती आवेदन की सुनवाई करते हुए सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–1976 से भूमि अपीलार्थीगण के नाम अंकित की गई है। उनका कथन है कि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा प्रकरण में समस्त जांच करते हुए एवं प्रंक्रिया का पालन कर दुरूस्ती बाबत आदेश पारित किया। उनका कथन है कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत किसी लिपिकीय त्रुटि या ऐसी त्रुटि जिसमें पक्षकार सहमत है को ही दुरूस्त करने का प्रावधान है, किसी न्यायिक आदेश को निरस्त करने का प्रावधान धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधित नहीं है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों उक्त तथ्यों एवं विधि की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/7548/2006/पाली हबताराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 2015 आरबीजे पेज 280 एवं 2015 आरबीजे पेज 256 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

योग्य राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना करते विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथाा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, बाली पार्टी नम्बर 3 के समक्ष एक आवेदन पक्षकारान द्वारा किया गया, जिस पर रिपोर्ट ली गई, जांच की गई, तथा बाद जांच दिनांक 20–04–1976 को आदेश पारित किया गया तथा उक्त आदेश की अनुपालना में अभिलेखों में दुरूस्ती किया जाना स्पष्ट होता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में यह पूर्णतया स्थापित तथ्य है कि भू प्रबन्ध कार्य के दौरान आवेदन दिए जाने तत्पश्चात् जाचं की जाकर आदेश पारित किया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधान भू प्रबन्ध की त्रुटि को दुरूस्त करने से सबंधित है। अर्थात नया अभिलेख तैयार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/7548/2006/पाली हबताराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करते समय त्रुटिवश किसी प्रकार का कोई अंकन हो जाता है तो भू प्रबन्ध समाप्ति के पश्चात् भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) को ऐसी त्रुटि को दुरूस्त करने की अधिकारिता है। धारा 136 के प्रावधान इस प्रकार है–

> Sec.136 Correction of errors- The land Records officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue officer may notice during the course of his inspection in any register-

उपरोक्त विधिक प्रावधान से स्पष्ट है कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत किसी ऐसी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को दुरूस्त किया जा सकता है जो त्रुटिवश नया अभिलेख बनाते समय कारित कर दी गई हो, परन्तु किसी प्राधिकारी के आदेश से यदि कोई प्रविष्टि की गई है तो उक्त प्रविष्टि या उस आदेश को निरस्त करने की अधिकारिता धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रदान नही करती है तथा धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान बाबत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.बी.जे. 2015 पेज 256 पर जो व्यवस्था दी गई है, उक्त व्यवस्था में भी मात्र लिपिकीय त्रुटि या ऐसी त्रुटि जो पक्षकार दुरूस्त करने हेतु सहमत हो, उसे ही परिवर्तित किया जा सकता है।

वर्तमान प्रकरण में जो आदेश उपखण्ड अधिकारी बाली तथा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा पारित किये गये है, उसमें इस बिन्दु पर विचार किये बिन कि जो प्रविष्टि वर्तमान अभिलेख में अंकित है वह सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–04–1976 की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/7548/2006/पाली हबताराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पालना में अंकित की गई, उसे धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत आक्षेपित ही नहीं किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत आदेश पारित करने की अधिकारिता ही नही थी। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में निहित उक्त तथ्यात्मक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–10–2005 एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–7–2006 निरस्त किये जाते है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य